INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP[illegible]
Certificate Issued Date	:	28-Ap[illegible]
Account Reference	:	NONACC[illegible] NAVYUG MARKET/ UP-GZB
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPC[illegible]
Purchased by	:	UTTAR RAILWAY DOOR SANCHAR SEHKARI AVAS SAMITI LTD
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	3/SP-03 SIDDARTHA VIHAR GHAZIABAD
Consideration Price (Rs.)	:	5,73,85,714 (Five Crore Seventy Three Lakh Eighty Five Thousand Seven Hundred And Fourteen only)
First Party	:	UTTAR PRADESH AVAS EVAM VIKASH PARISHAD -
Second Party	:	UTTAR RAILWAY DOOR SANCHAR SEHKARI AVAS SAMITI LTD
Stamp Duty Paid By	:	UTTAR RAILWAY DOOR SANCHAR SEHKARI AVAS SAMITI LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	40,17,000 (Forty Lakh Seventeen Thousand only)

Please write or type below this line

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

[illegible]

एक पक्ष और श्रीमती चुन्नी सिंह सचिव, उत्तर रेलवे पुरुषोत्तम सहकारी आवास समिति लि० पता-एफ-2(कपूर), शालीमारनगर, गाजियाबाद जिसे एतदपश्चात् निर्माणपत्रिका/किरायेदार कहा गया है और जिस पद में जब तक कि प्रसंग या अर्थ से कोई बात असंगत न हो, इसमें एतदपश्चात् उसका उत्तराधिकारी अनुमोदित अन्य निरीक्षिती और उसके न होने पर उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञा प्राप्त समनुदेशिती भी है, दूसरे पक्ष के बीच किया गया है।

उप आवास आयुक्त
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
गाजियाबाद

श्री० चुन्नी सिंह
सचिव
उत्तर रेलवे यू० संघ
सहकारी आवास समिति लि०
गाजियाबाद (उ० प्र०)

[illegible]

[illegible] 7/6/2017 [illegible] 11:43AM

[illegible]

7/6/2017

[illegible]

निवासी [illegible]

[illegible] ा बाद

सत्यमेव जयते

Kdewani

[illegible]

7/6/2017

[3 -]

चूंकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना के अधीन किराया–किस्त क्रेता ने स्वामी से किराया–किस्त क्रय योजना के अधीन ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटन करने के लिए प्रथम पक्ष से आवेदन किया है और स्वामी ने एतत्पश्चात निर्धारित निबन्धन और शर्तों पर किराया–किस्त क्रेता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड आवंटित करने की सहमति दे दी है।

और चूंकि उक्त आवंटित भूखण्ड संख्या 3/एसएचपी–03 का कुल मूल्य है रू0–5,73,83,200.00 (रू0–पाँच करोड़ तिहत्तर लाख तिरासी हजार दो सौ मात्र) होता है। किराया–किस्त क्रेता ने अग्रिम धनराशि और प्रथम किस्त के रूप में 25 प्रतिशत धनराशि रू0–1,43,45,800.00 (रू0–एक करोड़ तैंतालीस लाख पैंतालीस हजार आठ सौ मात्र) का भुगतान कर दिया है।

अब यह विलेख इस बात का साक्षी है कि स्वामी एतद्द्वारा किराया–किस्त से प्रसंविदा करता है और सहमत है और किराया–किस्त क्रेता भी एतद्द्वारा स्वामी से निम्नलिखित रीति से प्रसंविदा करता है और सहमत है अर्थात

1 किराया–किस्त–क्रेता को ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के रूप में सम्पत्ति का, जिसकी संख्या–3/एसएचपी–03 है और जो सिद्धार्थ विहार योजना के सेक्टर संख्या–3 में स्थित है और जिसे अधिक स्पष्ट करने के लिए इसके आगे दी गई अनुसूची–एक में सीमाओं के साथ अधिक विशिष्ट रूप से वर्णित किया गया है, कब्जा दिया जायेगा।

2 किराया–किस्त क्रेता उक्त सम्पत्ति किरायेदार के रूप में किराया–किस्त क्रय अवधि तक धारित करेगा जो 2 (दो) वर्ष की नियत अवधि तक होगी अर्थात किस्त वर्ष 2017 के माह सितम्बर से प्रथम किस्त को प्रारम्भ होगी और वर्ष 2019 के माह फरवरी में अन्तिम किस्त को समाप्त होगी।

उप आवास आयुक्त
कृते उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

विक्रेता

Registration No.: 3319 Year: 2,017 Book No.: 1

0101 विकास सन्स लिमिटेड प्रतिनिधि एच डी सिंह पुत्र आत्माराम आत्मज

आत्मज विकास पर बल

सेवानिवृत्त/व्यापार/नौकरी

उत्तर प्रदेश सब रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

3 किराया-किस्त क्रेता स्वामी की ओर से किसी मांग के बिना किराया-किस्त अवधि की समाप्ति तक प्रत्येक त्रैमास के प्रथम दिनांक को केवल रू0-63,91,054.00 (रू0 तिरेसठ लाख इक्यानबे हजार चौवन मात्र) की 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्रथम त्रैमासिक किस्त का भुगतान करेगा यद्यपि प्रत्येक त्रैमास की प्रथम दिनांक से अन्तिम दिनांक तक जमा की जा सकती है।

(क) किराया-किस्त-क्रेता रू0-63,91,054.00 (रू0 तिरेसठ लाख इक्यानबे हजार चौवन मात्र) की त्रैमासिक किस्त की किसी मांग की प्रतीक्षा किए बिना उस माह के बाद जिसमें त्रैमासिक किस्त देय हो जाए, प्रत्येक त्रैमास के प्रथम दिनांक को स्वामी के कार्यालय में या निर्दिष्ट स्थान पर भुगतान करेगा जिसका ऐसा प्रथम भुगतान इसके द्वारा परिकल्पित किराया-किस्त क्रेता द्वारा किया जायेगा और जिसे माह जनवरी की प्रथम किस्त के रूप में समझा जायेगा और ऐसा आगामी भुगतान वर्ष 2017 के फरवरी माह के अन्तिम दिनांक को या उसके पूर्व प्रत्येक कलैण्डर माह के दूसरा बार किराया-किस्त क्रय की अवधि तक देय हो जाने या भुगतान योग्य हो जाये।

(ख) किराया-किस्त क्रेता को नियमानुसार भूमि मूल्य (फ्रीहोल्ड मूल्य) की 12प्रतिशत धनराशि फ्रीहोल्ड शुल्क के रूप में निर्धारित तिथि तक देय होगी अथवा किराया-किस्त क्रेता द्वारा भूमि मूल्य को 12 प्रतिशत धनराशि भूमि मूल्य में सम्मिलित है।

(ग) किराया-किस्त क्रेता आवंटन की योजना में यथा निर्धारित नगर पालिका के या अन्य प्रकार के सभी करों, फीस, उपकर, निर्धारित कर ऐसे अन्य उद्ग्रहण की धनराशि का, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, जो स्थानीय निकाय द्वारा या राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकरण द्वारा उसके सम्बन्ध में

उप आवास आयुक्त
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
गाजियाबाद

[illegible]

Registration No.: 3319 | Year : 2017 | Book No. : 1

W1 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

W2 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

सत्यमेव जयते

[illegible]

[illegible]

(घ) किरायादार–किराया क्रेता एतद्द्वारा स्वीकृत अवधि के दौरान सभी युक्तियुक्त समय पर स्वामी या स्वामी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में और उस पर प्रवेश करने और मरम्मत की स्थिति का निरीक्षण करने की अनुमति देगा और यदि ऐसा निरीक्षण करने पर स्वामी को यह प्रतीत हो कि कोई संरचनात्मक या विशेष मरम्मत आवश्यक है तो स्वामी किरायादार–किराया क्रेता के खर्च पर करा सकता है और किरायादार–किराया क्रेता एतद्द्वारा स्वामी को ऐसी धनराशि का भुगतान करके जिसे स्वामी (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) इस निमित्त नियत करे, ऐसे खर्च की प्रतिपूर्ति करने की सहमति देता है

(ङ) किरायादार–किराया क्रेता स्वामी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति में उस पर ऐसे कर्मकारों के साथ प्रवेश करने की अनुमति देगा जो पाइप–लाइन, सीवर लाइन या कोई विद्युत आपूर्ति लाइन या उससे सम्बन्धित किसी कार्य के लिए कोई नवीन लाइन बिछाने, उसकी मरम्मत करने या उसे निरन्तर स्थान पर लगाने के प्रयोजन के साथ–साथ उक्त सम्पत्ति में बिछाई गई किसी नवीन लाइन से किसी अन्य सम्पत्ति को जोड़ने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(च) किरायादार–किराया क्रेता स्वामी की लिखित पूर्वानुमति के बिना और सम्बद्ध प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति या अनुमति के बिना भी उक्त सम्पत्ति में कोई परिवर्तन या परिवर्द्धन नहीं करेगा या करने की अनुमति नहीं देगा।

परन्तु स्वामी अपने विवेकानुसार किसी परिवर्तन या परिवर्द्धन, चाहे जो भी हो, के लिए ऐसी अनुमति देने से इनकार कर सकता है और इस निमित्त उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

उप आवास आयुक्त

(ञ) किराया-क्रय क्रेता, स्वामी की लिखित पूर्व सहमति के बिना जिसे वह अपने स्वयं विवेकानुसार अस्वीकृत करने का हकदार होगा, उक्त सम्पत्ति के सम्पूर्ण या किसी भाग का विक्रय, अन्तरण, समनुदेशन नहीं करेगा या कब्जे से अन्यथा अलग नहीं होगा।

परन्तु सहमति दिये जाने की दशा में सम्पत्ति का ऐसा प्रत्येक अन्तरण समनुदेशन केवल इस किरायेदारी की शेष अवधि के लिए होगा और यथास्थिति अन्तरिती या समनुदेशिती इसमें दिये गये निबन्धनों और शर्तों से आबद्ध होगा और उसकी सभी शर्तों के लिए स्वामी के प्रति उत्तरदायी होगा।

परन्तु यह भी कि ऐसा कोई भी समनुदेशन या अन्तरण वैध या अनुज्ञेय नहीं होगा जहाँ समनुदेशिती या अन्तरिती कोई ऐसा व्यक्ति है जो योजना में यथा उपबन्धित पात्रता की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।

(ट) किराया-क्रय क्रेता इस किरायेदारी की अवधि के दौरान इसके पीछे दी गयी अनुसूची-दो में दिये गये किरायेदारी सम्बन्धी अनुबन्धनों का पालन करेगा।

(ठ) किराया-क्रय क्रेता इस योजना के अधीन देय या आने वाले ऐसे सभी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा जो इस विलेख का अंग समझे जायेंगे और जिसके बारे में इस अनुबन्ध पत्र के पक्षकारों के बीच एतद्द्वारा सहमति है।

(ड) उक्त सम्पत्ति में किराया-क्रय क्रेता के हित के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकता है, फिर भी किराया-क्रय क्रेता एतद्द्वारा स्वामी को किसी ऐसी सम्भाव्यता के सम्बन्ध में क्षतिपूर्ति करने का वचन देता।

(ढ) किराया किराया क्रेता किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरूप उक्त सम्पत्ति को क्षति पहुँचने या उसके नष्ट होने की दशा में एतद्द्वारा स्वामी को किसी भी उत्तरदायित्व से मुक्त करना है।

उप आवास आयुक्त
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

परन्तु इस अनुबन्ध के प्रभावी रहने तक किरायादार-क्रेता का यह कर्तव्य होगा कि वह इस बात का ध्यान रखे कि ओयआईजी भूखण्ड उपयोग के संलग्न उचित टूट-फूट को छोड़कर उसी दशा में बना रहे जिसमें वह प्रारम्भ में सौंपा गया था, किसी प्राकृतिक कारण से या आग लग जाने से क्षति होने की दशा में, किरायादार-क्रेता का
यह कर्तव्य होगा कि वह भवन का पुनः उसकी मूल दशा में लाने के लिए आवश्यक मरम्मत कराये। भवन का आग लग जाने के जोखिम के प्रति परिषद द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी से अनिवार्य रूप से बीमा कराया जायेगा अतः आग लगने से क्षति होने की दशा में परिषद का दायित्व उस सम्बन्ध में परिषद को मिलने वाली बीमा की धनराशि तक ही सीमित होगा।

(ड) किरायादार क्रेता अपने जीवन काल में लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर से ऐसे नाम निर्देशिती को, जिसे वह उक्त सम्पत्ति में, जिसकी उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में ओयआईजी भूखण्ड के भावी स्वामित्व में उसका अधिकार भी परिनिहित है, अथवा अंश या हित अन्तरित करना चाहे, नाम निर्दिष्ट करेगा और उसे आवास आयुक्त के पास जमा कर देगा। किरायादार-क्रेता की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर तदनुसार अन्तरण करेगा जो स्थानी और उत्तराधिकारियों के प्रति किरायादार क्रेता के समस्त विद्यमान दायित्वों और बन्धनों के अधीन होगा। इस प्रकार किये गये नाम निर्देशन को निरस्त किया जा सकता है और किरायादार-क्रेता उपर्युक्त रीति से उसके स्थान पर दूसरा नाम निर्देशन कर सकता है।

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
गाजियाबाद

(ख) यदि किराया–किस्त क्रेता किराया–किस्त क्रय की अवधि के समाप्त होने के पूर्व एतद्द्वारा स्वीकृत किरायेदारी को स्वतः समाप्त करना चाहे तो वह इसके लिए स्वामी को तीन महीने की नोटिस देगा और स्वामी उसी देने के साथ–साथ इस अनुबन्ध के अनुसार किराया–किस्त क्रेता द्वारा किरायेदारी को इस प्रकार समाप्त करने के कारण होने वाली हानि की वसूली करेगा।

(ग) इसमें इसके पूर्व दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई जाँच की जायेगी तो यदि आवश्यक हो, तत्पश्चात् पक्षों की सुनवाई के पश्चात् यदि स्वामी की राय में जिसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा, किराया–किस्त क्रेता द्वारा **[illegible] भूखण्ड** के आवंटन के लिए उसके द्वारा दिये गये आवेदन पत्र में कोई गलत बयान किया गया हो या किन्हीं सारवान तथ्यों को छिपाया गया हो तो स्वामी के लिए किराया किस्त क्रेता को बेदखल करना और सम्पत्ति का कब्जा लेना विधिपूर्ण होगा और तब यह अनुबन्ध समाप्त समझा जायेगा और किराया–किस्त क्रेता द्वारा इस प्रकार जमा की गई धनराशि का स्वामी को समपहरण हो जायेगा।

(घ) स्वामी एतद्द्वारा सहमत है कि किराया–किस्त क्रेता इस विलेख के अनुसार उसके द्वारा देय सभी भुगतान करके और इसमें दी गई सभी शर्तों को पूरा करके और उनका पालन करके उक्त अवधि के दौरान स्वामी या उसके अधीन विधिपूर्वक दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विधिपूर्ण विघ्न या बाधा के बिना उक्त सम्पत्ति को किरायेदार
के रूप में शान्तिपूर्वक धारित करेगा और उसका उपभोग करेगा।

इसमें इसके पूर्व दी गई किसी बात के होते हुए भी किरायेदार एतद्द्वारा किराया–किस्त क्रय के रूप में जो परिषद द्वारा नियत किया गया हो, भूमि के

उप आवास आयुक्त
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
[illegible]

प्रतिकर में वृद्धि होने के कारण, या ठेकेदार के न्यायालय में जाने के परिणाम स्वरूप ठेकेदार के बिल में वृद्धि होने के कारण या ऐसी अन्य आकस्मिकता के कारण जिसका एतद्पश्चात् विनिश्चय किया जाये, कोई वृद्धि होने से उसका भुगतान करने के लिए सहमत है ऐसा भुगतान मांग में इस प्रकार वृद्धि की आनुपातिक धनराशि होगी जो परिषद द्वारा नियत की जायेगी और किरायेदार के लिए अन्तिम और बाध्यकर होगी।

(ग) उक्त भूखण्ड का किराया–किराया क्रेता एतद्द्वारा आवंटन के दिनांक से 3 वर्ष के भीतर भूखण्ड पर भवन का निर्माण करने और निर्माण कार्य पूरा करने के लिए सहमत है जिसमें विफल रहने पर परिषद द्वारा भूमि का पुनर्ग्रहण किया जा सकेगा। किराया–किराया क्रेता निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भवन का नक्शा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करायेगा।

4 स्वामी एतद्द्वारा किराया–किराया क्रेता को किराया किराया काल की अवधि की समाप्ति के पश्चात् लिखित प्रारूप में उसके पक्ष हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करके उक्त सम्पत्ति का अन्तरण करने के लिए सहमत है परन्तु यह कि उसने ऐसे निष्पादन के पूर्व स्वामी को और स्थानीय निकायों को, यदि कोई हो, सभी देयों का भुगतान कर दिया हो। किराया किराया क्रेता इसके बाद किरायेदार नहीं रहेगा और फेज–6 में यथा एतद्पश्चात् निष्पादित किए जाने वाले हस्तान्तरण विलेख के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पत्ति का पट्टेदार के रूप में स्वामी हो जायेगा।

5 हस्तान्तरण विलेख यद्यपि स्वामी द्वारा किराया–किराया काल की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निष्पादित किया जायेगा, फिर भी यदि किराया–किराया क्रेता ने इसके पूर्व किरायेदारी समाप्त करने और सम्पत्ति का [illegible] उसको लिखित

उप आवास आयुक्त
[illegible] आवास एवं विकास परिषद
[illegible]

[illegible] सिंह

करने के लिए आवेदन किया हो और यदि किराया–किस्त क्रेता स्वामी द्वारा, (जिसका विनिश्चय अंतिम और बाध्यकर होगा) की गई संगणना के अनुसार पूरा भुगतान कर देता है, तो स्वामी हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करेगा।

6 यदि उक्त टिप्पणी और उनके अधीन किये गये अनुबन्ध की शब्दावली के निर्वचन के या अनुबन्ध के अनुसार किये गये या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी विनिश्चय के बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न हो तो आवास आयुक्त विनिश्चय करेंगे और किराया–किस्त क्रेता के लिए संयुक्त रूप से या पृथक–पृथक ऐसा विनिश्चय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

7 किराया–किस्त क्रेता आवंटन के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण कार्य पूरा करायेगा।

8 प्रस्तावित निर्माण कार्य का नक्शा आवंटी द्वारा परिषद के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

9 सोसाइटी भूखण्ड का एफ0ए0आर0 उपविधि के अनुसार अनुमन्य होगा।

10 विद्युत/दूरसंचार का व्यय स्वयं क्रेता को वहन करना होगा।

11 सोसाइटी भूखण्ड के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन/परिषद द्वारा बनाये गये नियम, आवंटन की तिथि से प्रभावी होंगे।

12 विक्रय विलेख निष्पादित कराने का दायित्व किराया किस्त क्रेता का होगा। उक्त विलेख में प्रतिलिखित नियमों व प्राविधानों में विक्रय विलेख के निष्पादन सम्बन्धी व्ययों का भुगतान विक्रय विलेख निष्पादन से पूर्व अथवा बाद में समय–समय पर बनाये गये शासन/ परिषद के नियम क्रेता को मान्य होंगे।

जिसके साक्ष्य में श्री एसबीर सिंह, उप आवास आयुक्त ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और श्री पूरी सिंह सचिव, उत्तर रेलवे पुनर्वास सहकारी आवास समिति लि० [illegible], [illegible], गाजियाबाद के रूप में लोप्रा और सम्पत्ति के किसी प्रकार या प्रयोजन के लिए, साक्षियों की उपस्थिति में एतद्द्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

अनुसूची-एक

सिद्धार्थ विहार योजना सेक्टर संख्या 3 में स्थित ग्रुपहाउसिंग भूखण्ड संख्या-3/SP-3 सम्पूर्ण ग्रुपहाउसिंग भूखण्ड जिसमें क्षे० 20494.00 वर्गमी० भूमि सम्मिलित है

सम्पत्ति की सीमा निम्नलिखित है :-

उत्तर ___ भवन

पूर्व ___ सड़क भवन

दक्षिण ___ [illegible]

पश्चिम ___ अनुसार

बी०के पूरी सिंह
सचिव
उत्तर रेलवे पुन० सहकारी आवास समिति लि०
गाजियाबाद (उ० प्र०)

उप आवास आयुक्त
वास्ते आवास एवं विकास परिषद
गाजियाबाद

अनुसूची-दो

इस अनुबन्ध पत्र पर इसके संबंध में इसकी पक्षकारों ने उपरोक्त दिनांक, मास और वर्ष को अपने हस्ताक्षर किये--

1--साक्षी :

1.हस्ताक्षर ______

2. नाम ______

3. पता ______

2--साक्षी :

1.हस्ताक्षर ______

2. नाम ______

3. पता ______

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

[illegible]

1--साक्षी :

1.हस्ताक्षर ______

2. नाम ______

3. पता [illegible]

2--साक्षी :

1.हस्ताक्षर ______ (Automatic Type)

2. नाम Sec-15 A

3. पता [illegible]

Noida.

क्रेता के लिए और उसकी ओर से

1. हस्ताक्षर ______

2. नाम -- [illegible]

[illegible]

[15 -]

अनुसूची–तीन

(किराया–किश्त क्रय अनुबन्ध का अनुलग्नक)

किराया–किश्त क्रय के उपबन्ध

1 यह उपबन्ध किराया–किश्त क्रेता पर लागू होंगे जो और जिसके साथ–साथ उसके **सोसाईटी भूखण्ड** का प्रत्येक उपयोगकर्ता संयुक्त रूप से पृथक–पृथक उनका पालन करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

2 किराया–किश्त क्रेता अपने **सोसाईटी भूखण्ड** के भीतर कूड़े, रद्दी कागजों, कूड़ाकरकट, रसोईघर और भोजन की अवशिष्ट सामग्री कूड़ा करकट और इसी प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए एक पात्र (कूड़ादान) रखेगा और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी बेकार चीजों को ऐसे पात्र में डालेगा और कहीं अन्यत्र नहीं डालेगा।

3 ऐसे पात्र में पड़ी हुई सामग्री को प्रतिदिन, उसे रास्ते में बिखराए बिना इस प्रयोजन के लिए आरक्षित स्थान पर हटायेगा।

4 स्नान घर और शौचालय जैसी स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग इस ढंग से किया जायेगा कि कोई नाली कूड़ा–करकट, रद्दी कागज, कूड़ाकरकट या इसी प्रकार चीजों से रुकने न पायें।

5 किसी कूड़ादान या कचरा रखने की पेटी को किराया–किश्त क्रेता के सोसाईटी भूखण्ड के बाहर या गलियारे या रास्ते में नहीं रखा जायेगा।

6 भवन के सामने के भाग खुले स्थान का उपयोग कूड़ाघर के रूप में नहीं किया जायेगा।

उप आवास आयुक्त
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
गाजियाबाद

[illegible] सिंह
सचिव
उत्तर रेलवे [illegible]
सहकारी आवास समिति लि०
गाजियाबाद [illegible]

7 विकासकर्ता किराया क्षेत्र के सोसाइटी पुनर्वासन भवन भाग में या भवन के किसी भाग में कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं निक्षेप करायेगा और नाली और मल-नलिका को स्वच्छ और सुव्यवस्थित रखा जायेगा।

8 सोसाइटी पुनर्वास के या कालोनी के किसी भाग का उपयोग खतरनाक, ज्वलनशील या आपत्तिजनक सामग्री रखने या उसका भण्डारण या ढेर लगाने के लिए नहीं किया जायेगा।

9 भवन के किसी भाग में एक पुरुष गाय या भैंस के अतिरिक्त किसी पशु या पक्षी को उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यवस्था किये बिना नहीं रखा जायेगा।

10 प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति को कोई क्षति न हो या उसका क्षय न हो।

11 प्रत्येक व्यक्ति इस बात की सावधानी रखेगा कि पानी का नल या उसकी फिटिंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और बिजली की वायरिंग और उसके ____ किसी से कोई छेड़छाड़ न करें।

12 सम्पत्ति का दुरुपयोग जैसे भवन फर्शियों, भवन रास्ता, सीढ़ियाँ, [illegible] कार्य करने के लिए नहीं किया जायेगा, न करने की अनुमति दी जायेगी।

13 परिसर में कोई भवन अपने साथ प्रत्येक व्यक्ति इस बात का ध्यान रखेगा कि निवासियों के निर्विघ्न आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो।

14 उपर्युक्त किसी भी उपबन्ध का पालन न करना अनुबन्ध के निबन्धनों का उल्लंघन करना होगा और परिषद ऐसे उल्लंघन के लिए विकासकर्ता किराया क्षेत्र के विरुद्ध उसके बीच निष्पादित अनुबन्ध के अधीन उसमें निहित शक्ति के अनुसार कार्यवाही करेगी।

उप आवास आयुक्त [illegible]
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
[illegible]

[illegible] सिंह
सचिव
[illegible]

[17 -]

15 आवंटी परिषद के सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करायेंगे।

16 ओएचईटी भूखण्ड के निवेशकों / आवंटियों द्वारा अपने खरीदारों / ग्राहकों को आवंटित भूखण्ड पर निर्मित सम्पत्ति की रजिस्ट्री करने का अधिकार नहीं होगा जब तक उनकी परिषद के पूर्ण देयता सम्पन्न नहीं हो जाती। परिषद के प्रति देयता सम्पन्न होने एवं निवेशक/ आवंटी के पक्ष में परिषद की ओर से रजिस्ट्री होने पर ही निवेशक / आवंटी द्वारा ग्राहकों के पक्ष में रजिस्ट्री करने का अधिकार होगा।

17 निवेशकों (ओएचईटी भूखण्ड के आवंटी) द्वारा उपरोक्त देय भुगतान शिड्यूल के अनुसार भुगतान न किये जाने की अथवा अनुबन्ध के प्राविधानों / शर्तों के उल्लंघन की दशा में परिषद को देय धनराशि को भू-राजस्व की भांति धनराशि वसूल करने का अधिकार होगा।

18 आवंटित सम्पत्ति के सापेक्ष परिषद को पूर्ण भुगतान प्राप्त होने तक सम्पत्ति विक्रय द्वारा किसी प्रकार की वसूली का प्रथम अधिकार परिषद का होगा।

उप आवास आयुक्त
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
गाजियाबाद

पी० सुरी सिंह
सचिव
उत्तर रेलवे ...
सहकारी आवास समिति लि०
गाजियाबाद

PLAN OF UTTAR RAILWAY SAHKARI SAMITI SECTOR - 5 AT ARTH VIHAR YOJANA, GHAZIABAD.

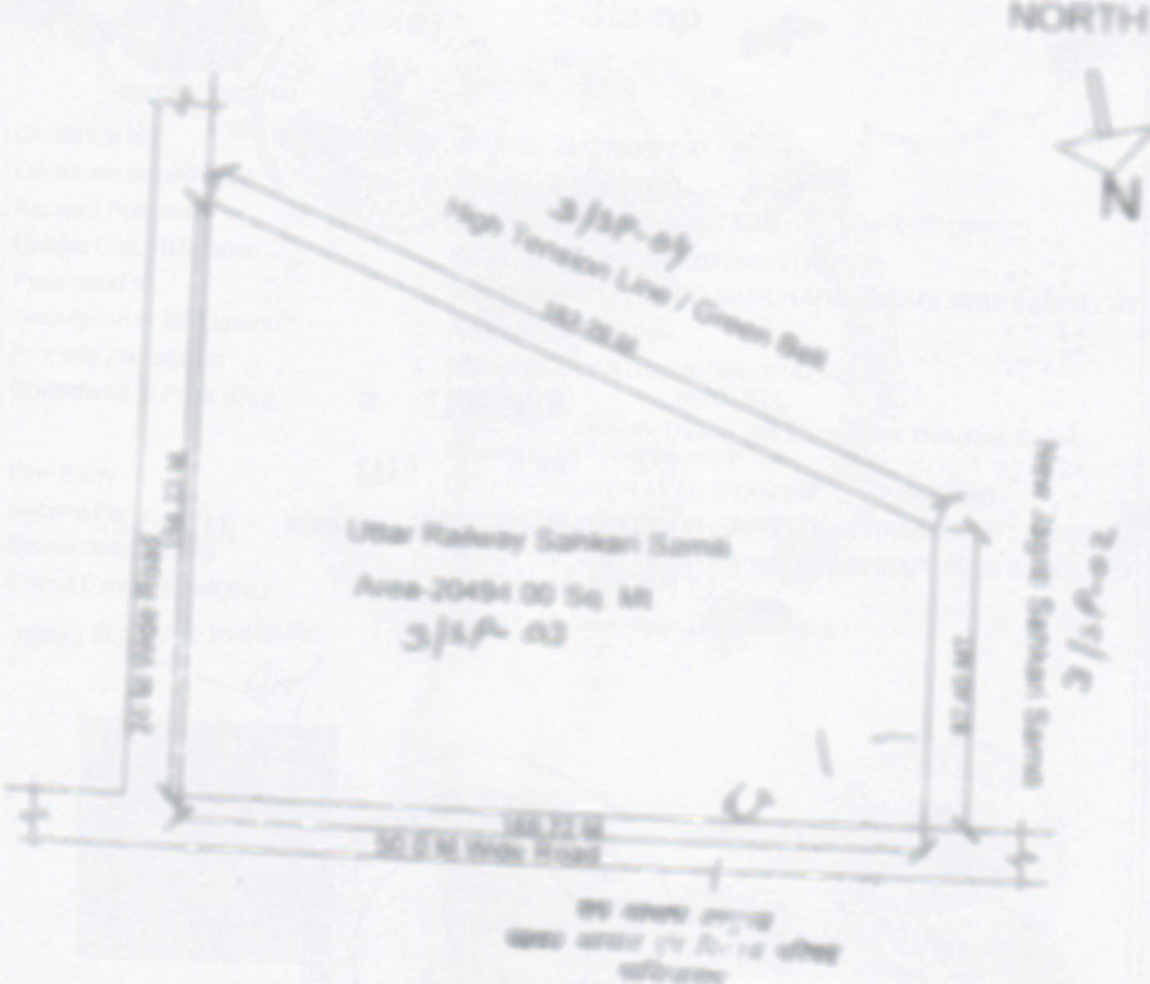

SITE PLAN

ALLOTEE SIGN	D/M		

FFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER C.D.-27 U.P. AVAS EVAM IKAS PARISHAD VASUNDHRA YOJNA ,GHAZIABAD.

आज दिनांक 07/06/2017 को

बही सं. 1 जिल्द सं. 6212

पृष्ठ सं. 93 से 136 पर क्रमांक 3319

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

तिवारी

उप निबंधक (पंचम)

गाजियाबाद

7/6/2017

सब रजिस्ट्रार पंचम गाजियाबाद

सत्यमेव जयते

* उत्तर प्रदेश *